


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2013/भाद्र 21, 1935

No. 463]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2013/BHADRA 21, 1935

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 623(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम 1961, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नियम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 2013 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "बोर्ड" से नियम 5 के उपनियम (2) में उल्लिखित भारतीय सांख्यिकीय सेवा बोर्ड अभिप्रेत है।
 - (ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।
 - (ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से नियम 5 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।
 - (घ) "डी पी सी" से किसी श्रेणी में प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार किए जाने के लिए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची III में यथविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति अभिप्रेत है।
 - (ङ.) "कर्तव्य पद" से नियम -4 में सम्मिलित कोई पद चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो अभिप्रेत है।
 - (च) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।
 - (छ) "श्रेणी" से नियम 4 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियां अभिप्रेत हैं।
 - (ज) "एमओएसपीआई" से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अभिप्रेत है।

(झ) "किसी भी श्रेणी के संबंध में नियमित सेवा" से श्रेणी में चयनित होने के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि और इसमें सम्मिलित ऐसी अवधि अभिप्रेत है -

(i) जो इन नियमों की अधिसूचना के समय, पहले से ही सेवा में रहे व्यक्तियों की ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) ऐसी अवधि जिसके दौरान अधिकारी ने उस श्रेणी में पद धारण किया हो, परंतु अवकाश पर होने या अन्य किन्हीं कारणों से ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध न रहा हो।

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों की संशोधित अनुसूची अभिप्रेत है।

(ट) "अनुसूचित जातियां" से ऐसी जातियां, प्रजातियां या जनजाति या ऐसी जातियां, प्रजातियां या जनजातियों में आने वाले समूह जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति का समझा गया है अभिप्रेत है।

(ठ) "अनुसूचित जनजातियां" से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों में सम्मिलित होने वाली या समूहों या जनजाति समुदायों को जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति का समझा गया है, अभिप्रेत है।

(ड) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय सांख्यिकीय सेवा (समूह 'क') पद अभिप्रेत है।

3. सेवा का गठन - भारतीय सांख्यिकीय सेवा के नाम से एक सेवा गठित होगी जो इस सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति से मिलकर बनेगी।

4. श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन - (1) इन नियमों के लागू होने की तारीख से, सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:-

क्रम सं.	श्रेणी, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	पद का नाम	पदों की संख्या **
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) + वेतनमान ₹ 75,500 - वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से ₹ 80,000	महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय और महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत कोई अन्य पदनाम	2
2	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) वेतनमान ₹ 67,000 - वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से ₹ 79,000	अपर महानिदेशक या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत कोई अन्य पदनाम	10
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) वेतन बैंड -4 वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड वेतन- ₹ 10,000	उपमहानिदेशक, सलाहकार, सांख्यिकी सलाहकार या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत कोई अन्य पदनाम	81
4	गैर कार्यात्मक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) वेतन बैंड -4 वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड वेतन ₹ 8,700	निदेशक या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य पदनाम	ज्येष्ठ (कर्तव्य) पद का 30 प्रतिशत (अर्थात् ज्येष्ठ समयमान

			और उससे ऊपर के पद)
5	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) वेतन बैंड-3 वेतनमान ₹ 15,600-39,100 ग्रेड वेतन- ₹ 7,600	संयुक्त निदेशक, उप सलाहकार या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत कोई पदनाम	229**
6.	ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस) वेतन बैंड-3 वेतनमान ₹15,600-39,100 ग्रेड वेतन- ₹ 6,600	उप-निदेशक, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत कोई अन्य पदनाम	206
7.	कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) वेतन बैंड-3 वेतनमान ₹ 15,600- 39,100 ग्रेड वेतन ₹ 5,400	सहायक निदेशक, अनुसंधान अधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत कोई अन्य पदनाम	233
8.	अवकाश/ प्रशिक्षण रिज़र्व		50
9	कुल		811

*(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन ।

टिप्पणी: **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आदेश सं. 11015/2/2008-आईएसएस तारीख 1.9.2008 द्वारा जेएजी के 229 पद में से, 127 पद एसएजी में उन्नत कर दिए गए हैं। में उन्नत पदों को धारण किए हुए अधिकारियों को एसएजी की प्रधिकृत संख्या में समायोजित करने के पश्चात् इन पदों को जेएजी या एनएफएसजी स्तर में प्रतिवर्तित किया जाएगा। इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कर्तव्य (इयूटी) पद का विवरण इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) नियम 4 के उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी सरकार:

(क) इस आदेश में समय-समय पर, आदेश जारी करके, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य (इयूटी) पद की संख्या में अस्थायी परिवर्द्धन या परिवर्तन कर सकती है;

(ख) सेवा में आयोग के परामर्श से, ऐसे पदों को सम्मिलित कर सकती है, जो वेतन बैंड या ग्रेड वेतन या वेतनमान के निबंधनों के अनुसार नियम 4 के उप-नियम (1) में सम्मिलित पद के समतुल्य हैं;

(ग) आयोग के परामर्श से, जैसा वह आवश्यक समझती है, समुचित श्रेणी के खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किसी कर्तव्य (इयूटी) पद पर अधिकारी को अस्थायी या स्थायी हैसियत, में नियुक्त कर सकती है।

(3) नियम 4 के उप-नियम (1) में उल्लिखित वेतनमान ₹ 37400-67000 (ग्रेड पे ₹ 8700) में गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी के पद की संख्या ज्येष्ठ कर्तव्य (इयूटी) पद अर्थात् सेवा में ज्येष्ठ समयमान और इससे ऊपर के स्तर के सभी कर्तव्य (इयूटी) पद के 30 प्रतिशत के बराबर होगी:

यह और कि गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी में पद की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में स्वीकृत पद की संख्या तक सीमित होगी।

5. नियंत्रक प्राधिकारी - (1) भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नियंत्रक प्राधिकारी होगा।

(2) संवर्ग नियंत्रण प्रधिकारी द्वारा भारतीय सांख्यिकीय सेवा बोर्ड के परामर्श से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रबंधन से संबंधित प्रमुख नीतिगत मामलों (संवर्ग समीक्षा, संवर्ग का पुनर्गठन, संवर्ग की भूमिकाओं और कार्यों की समीक्षा के मुकाबले अन्य मंत्रालयों या विभागों या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विदेशी सरकारी या संयुक्त राष्ट्र संगठन या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित मामलों) के मद्दे नज़र विनिश्चित होंगे। (3) मंत्रिमंडल सचिव बोर्ड का अध्यक्ष होगा और इसमें छह सदस्य सम्मिलित होंगे, जिनमें से कम-से-कम कम चार सदस्य सहभागी मंत्रालयों के सचिव होंगे। अन्य दो सदस्य सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय होंगे। (4) यदि आवश्यक हो तो, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों से मिलकर गठित हुई समिति द्वारा आयोग के मान्यताप्राप्त कार्यों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तकनीकी प्रकृति के मामलों में बोर्ड को सहायता दी जा सकेगी।

(4) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास भारतीय सांख्यिकीय सेवा का प्रशासनिक प्रबंधन रहेगा।

6. पद का सेवा में संवर्गीकरण—(1) सेवा में पद का संवर्गीकरण और नियम 4 उप-नियम (2) के उपबंध (ख) और उपबंध (ग) के अधीन कर्तव्य (इयूटी) पद धारण किए हुए सेवा में संवर्गीकृत अधिकारियों की नियुक्ति इन नियमों में यथा उपबंधित के अनुसार होगी।

(2) नियम 4 के उप-नियम (2) के उपबंध (ख) और उपबंध (ग) के अधीन भारतीय सांख्यिकीय सेवा में के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता उनके द्वारा अनुसूची-1 के भाग-2 के पैरा 6 में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता पूरी करने के अधीन होगी। सेवा के विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए पात्रता की अन्य शर्तें आयोग के परामर्श से नियंत्रक प्रधिकारी द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(3) सरकार संबंधित श्रेणियों के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी जो आयोग के अध्यक्ष या और ऐसे अन्य सदस्यों, जो अनुसूची III के स्तंभ (2) में उल्लिखित सदस्य से मिलकर बनेगी और सेवा की विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियम 6 के उप-नियम (1) में इस समिति द्वारा विनिर्दिष्ट को अवधारित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जिसे सेवा के किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, अपने मूल पद को धारण किए रहेगा और नियंत्रक प्रधिकारी आयोग के परामर्श से अगले वर्ष वर्ष की नियुक्ति के लिए उस पर पुनर्विचार कर सकता है। भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सम्मिलित करने के लिए इन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता अनुसूची-1 के भाग-2 के पैरा 6 में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता पूरी करने के अधीन होगी। सेवा के विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए पात्रता की अन्य शर्तें आयोग के परामर्श से नियंत्रक प्रधिकारी द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(5) उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो सेवा के किसी श्रेणी में चयन होने पर सेवा में समाहित नहीं होने का विकल्प लेता है वह चयन से ठीक पहले के अपने द्वारा धारण किए पद पर ऐसे बना रह सकता है मानो कि उसका चयन न हुआ हो।

स्पष्टीकरण: आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अनुपस्थिति से इस नियम के प्रयोजन के लिए चयन समिति की कार्यवाही अविधान्य नहीं होगी।

7. सेवा का भविष्यवर्ती अनुरक्षण—नियम 4 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में कर्तव्य (इयूटी) पद, निम्नलिखित रीति से भरे जाएंगे:

(1) कनिष्ठ समयमान में अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट कुल कर्तव्य (इयूटी) पद के 50 प्रतिशत पद आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(2) अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा में कनिष्ठ समयमान में कुल कर्तव्य (इयूटी) पद के 50 प्रतिशत पद ग्रेड वेतन के साथ वेतनमान ₹ 9300-34,800 की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सेवा में भर्ती हुए सभी अधिकारियों की मूल नियुक्ति केवल प्रविष्टि श्रेणी अर्थात् सेवा के कनिष्ठ समयमान में की जाएगी। सीधी भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तारीख वह होगी जिस तारीख को आयोग ने कनिष्ठ समयमान में उसका या उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। प्रोन्नत अधिकारी की नियुक्ति की तारीख वह होगी जिस तारीख को आयोग ने कनिष्ठ समयमान में प्रोन्नति के लिए उसे चयन सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी या जिस तारीख को अधिकारी को कनिष्ठ समयमान में नियुक्त किया गया था, जो भी पश्चातवर्ती हो। सेवा में संवर्गीकृत अधिकारियों की नियुक्ति की तारीख वह होगी जिस तारीख को उसे भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सम्मिलित करने के लिए आयोग द्वारा सिफारिश सूची में सम्मिलित किया गया था या जिस तारीख को अधिकारी को भारतीय सांख्यिकीय सेवा में नियुक्त किया गया था, जो भी पश्चातवर्ती हो।

(4) जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट किया गया है ज्येष्ठ समयमान और इससे ऊपर की श्रेणी में प्रोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति की तारीख वह होगी जिस तारीख को उन्हें उस श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा सिफारिश चयन सूची में सम्मिलित किया गया है, या जिस तारीख को उन्हें उस श्रेणी में नियुक्त किया गया है, जो भी पश्चातवर्ती हो।

(5) सेवा के विभिन्न श्रेणी में प्रोन्नति के लिए चयन क्षेत्र और पात्रता मानदण्ड वह होंगे जो कि अनुसूची-II में यथविनिर्दिष्ट है।

(6) अनुसूची III के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर, अधिकारियों को 'चयन' पद्धति के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नत किया जाएगा, सिवाय कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी में अधिकारियों की तैनाती के, यह कार्य अचयन आधार पर किया जाएगा।

(7) जब कभी किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा या संयुक्त संवर्ग के राज्य के किसी अधिकारी को वेतन-बैंड 3 या वेतन बैंड 4 के किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाले किसी विशिष्ट श्रेणी में या उच्चतर प्रशासनिक वेतनमान पर पर केंद्र में नियुक्त किया जाता है, तो इस सेवा के उन सदस्यों को, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों अधिकारियों से दो वर्ष या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और उन्हें अभी तक उस विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नत नहीं किया गया है, को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की उस विशिष्ट श्रेणी में तैनाती की तारीख से गैर-कार्यात्मक आधार पर उसी श्रेणी में नियुक्त कर दिया जाएगा। यह तत्संबंधी श्रेणी में प्रोन्नति की पात्रता मानदण्ड को पूरा करने और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों और अनुसूची V के अनुसार गठित छानबीन समिति के अध्यक्षीन होगी।

8. परिवीक्षा - (1) सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

यह प्रावधान है कि नियंत्रक अधिकारी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

यह और कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का विनिश्चय, पिछली परिवीक्षा अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, आठ सप्ताह के भीतर ले लिया जाएगा और ऐसा किए जाने के कारण सहित संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर इस निर्णय से लिखित में संसूचित करा दिया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि अथवा इसकी किसी विस्तारित अवधि के पूर्ण होने पर, यदि अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति नियुक्ति के लिए योग्य विचारित किया जाता है, तो उन्हें उनके मूल पद पर नियमित आधार पर प्रतिधारित किया जाएगा और उपलब्ध मूल रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति की सम्यक अनुक्रम में पुष्टि कर दी जाएगी।

3944 5/13-2

(3) यदि, परिवीक्षा अवधि या उसकी विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के समाप्त होने पर, सरकार का यह यह मत है कि कोई अधिकारी मूल नियुक्ति के पात्र नहीं है, तो वह उस अधिकारी को सेवामुक्त या सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है, जैसा भी मामला हो।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसकी विस्तारित अवधि के दौरान, सरकार द्वारा अभ्यर्थियों से अपेक्षित ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रमों में भाग लेने और ऐसी परीक्षाओं या परीक्षाओं (जिसके अंतर्गत हिंदी परीक्षा भी है), जैसा वह उपयुक्त समझे, को पास करने को परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से सम्पन्न होने की शर्त बना सकती है।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के विषय में, इस सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

9. ज्येष्ठता - (1) किसी भी श्रेणी में नियुक्त इस सेवा के अधिकारियों की ज्येष्ठता इन नियमों के लागू होने की तारीख से ठीक पहले प्राप्त की गई उनकी परिणामी ज्येष्ठता द्वारा अधिशसित होगी।

यह कि यदि सेवा के किसी अधिकारी की ज्येष्ठता इन नियमों के लागू होने से पहले अवधारित नहीं की गई है, तो इन नियमों के लागू होने से पहले इस सेवा के अधिकारियों पर लागू भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961 के अनुसार उसे अवधारित किया जाएगा।

(2) कनिष्ठ समयमान श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार अवधारित की जाएगी:

(i) अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा से प्रोन्नत अधिकारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता इस प्रोन्नति के लिए उनके चयन के अनुक्रम में की जाएगी और पिछले चयन के आधार पर प्रोन्नत अधिकारी पश्चातवर्ती चयन के आधार पर प्रोन्नत अधिकारियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे;

(ii) सीधी भर्ती से हुए व्यक्तियों की ज्येष्ठता आयोग द्वारा उनके चयन के अनुक्रम में होगी और पिछले चयन के आधार पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के आधार पर नियुक्त सभी अन्य व्यक्तियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे।

(3) नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता की अर्थात् सेवा में संवर्गीकृत नियमों के प्रविष्टि श्रेणी (अर्थात् वह श्रेणी जिसमें अधिकारी को संवर्गीकृत किया गया है) पर लागू होने के पश्चात पश्चात भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उस श्रेणी में समावेशन के लिए संबंधित चयन सूची में उनकी अवस्थिति के अनुक्रम में अवधारित की जाएगी और पिछले चयन के आधार पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति किसी पश्चातवर्ती के चयन के आधार पर उस श्रेणी में नियुक्त सभी अन्य व्यक्तियों से रैंक में ज्येष्ठ होगा।

(4) सेवा के ज्येष्ठ समयमान में या इससे उपर के पदों पर नियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सेवा उन श्रेणियों में समावेशन के लिए संबंधित चयन सूचियों में उनकी अवस्थिति के क्रम में निर्धारित होगी और पिछले चयन के आधार पर सम्मिलित किए गए अधिकारी चयन के आधार पर प्रोन्नत सभी अधिकारियों से रैंक में रैंक में ज्येष्ठ होंगे।

(10) सेवा की अन्य शर्तें - (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी को भारत में या भारत के बाहर जिसके अंतर्गत क्षेत्र सेवा भी है, सेवा के लिए भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। नियंत्रक प्राधिकारी-

(i) सेवा के सुचारु संचालन के लिए अपने अधिकारियों के उपयुक्त स्थानांतरण या कार्यमुक्त करने; और

(ii) उनके श्रेणी में पुष्टि या उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त होने के लिए उस श्रेणी के अधिकारियों के लिए समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा।

(2) उन मामलों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें वही रहेंगी जैसी कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

11. प्रतिनियुक्ति - (1) इन नियमों में उल्लिखित किसी बात के होते हुए, यदि सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं और आयोग के साथ परामर्श से,

से, किसी भी श्रेणी में इयूटी (कर्तव्य) पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकती है जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और यदि सरकार उचित समझती है तो इस अवधि को विशेष परिस्थितियों में पाँच वर्ष तक बढ़ा सकती है। इन नियमों के अधीन सेवा के किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर शैक्षिक अर्हता, अर्हता, अनुभव और अर्हक सेवा का विनिश्चय आयोग के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी सेवा के सदस्यों को एक निश्चित अवधि के लिए किसी राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारें भी हैं, के अधीन पद पर कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है जिससे वे अपने अनुभव में सवृद्धि कर सकें और वे सेवा के कर्तव्य (इयूटी) पद को धारण करने के लिए और अधिक उपयुक्त बन सकें।

12. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य व्यक्ति को लागू स्वीय स्थिति के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. अवशिष्ट मामले - उन मामलों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

14. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के किसी व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

15. निर्वचन - इन नियमों के निर्वचन संबंधी यदि कोई प्रश्न उठता है, तो ऐसे मामले को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

16. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची - I

[(देखें नियम 8(1)]

भाग - I

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती

1. सेवा के कनिष्ठ टाइम स्केल पर सीधी भर्ती के इस अनुसूची के भाग 2 में विहित रीति से एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
2. परीक्षा के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए या सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए।

3. किन्हीं भी अनुचित साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी की ओर से किया गया कोई भी प्रयत्न आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
4. परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है जब तक कि सरकार ऐसी जांच जो आवश्यक समझे के पश्चात यह समाधान नहीं कर लेती कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
5. किसी भी अभ्यर्थी की सेवा में तब तक नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक कि सरकार द्वारा विहित ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी ऐसे सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक दोषों से मुक्त है और उसमें ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक दोष नहीं है जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा पड़ने की संभावना है।
6. कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकेगी।

भाग II

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से

सेवा के कनिष्ठ समयमान में भर्ती:

1. परीक्षा का आयोजन - सेवा के कनिष्ठ समयमान में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा जारी में इस प्रयोजन के लिए विहित समय और स्थानों पर जो आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित की जाये, एक परीक्षा (जिसे इसमें इसके पश्चात अब आगे इस अनुसूची में "परीक्षा" के रूप में कहा गया है) आयोजित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में, जब संभव हो, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या घोषित की जाएगी।
2. परीक्षा का संचालन - प्रत्येक परीक्षा का संचालन सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति से आयोग द्वारा किया जाएगा।
3. संयुक्त परीक्षा - यदि इस भाग के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा एक से अधिक सेवाओं के लिए नियुक्तियां करने के प्रयोजन के लिए की जाती है तो वह संयुक्त परीक्षा मानी जाएगी, और पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्-

क. कोई भी व्यक्ति सभी सेवाओं अथवा किसी एक सेवा, जिसके लिए वह पात्र है, में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि वह एक से अधिक सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने का इच्छुक है, तो वह अपने आवेदन आवेदन में उन सेवाओं के नाम और उनके अधिकार का उल्लेख करेगा, जिनके लिए वह विचार विचार किए जाने का इच्छुक है और ऐसे मामलों में केवल एक आवेदन पत्र आवश्यक होगा और पैरा 7 में निर्दिष्ट फीस का केवल एक भुगतान पर्याप्त होगा।

ख. सरकार अभ्यर्थी द्वारा अभिव्यक्त किसी भी व्यक्तिगत अधिमानता सहित सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रत्येक सेवा के लिए सफल अभ्यर्थियों को सौंपेगी।

4. आवेदन करने का प्ररूप - अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित तारीख से पहले रीति और प्ररूप में आवेदन करना होगा ।

5. आयु सीमा - जिस वर्ष परीक्षा अयोजित होनी है उस वर्ष के अगस्त की पहली तारीख को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूरी हो और 30 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए :

यह कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित श्रेणियों के संबंध में आयु की उपरी सीमा में प्रत्येक श्रेणी के संबंध में अधिसूचित सीमा और शर्तों के अध्याधीन स्थिलता दी जाएगी ।

6. शैक्षिक अर्हताएं - अभ्यर्थी :

(i) भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के द्वारा निगमित किसी अन्य शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से संख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में से किसी एक विषय के साथ बैचलर डिग्री प्राप्त किया हो या संख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी विषय में मास्टर डिग्री अवश्य अवश्य प्राप्त होना चाहिये ।

टिप्पण : अपवादिक मामलों में, ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके पास उपरोक्त विहित शैक्षिक योग्यता नहीं है, शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, परंतु यह कि उसने किसी ऐसे अन्य संस्था द्वारा आयोजित ऐसी परीक्षा पास की हो, जिसका स्तर आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यायानुमत ठहराता है ।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा पात्र हैं परंतु उन्होंने किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं और आयोग के स्वविवेकानुसार उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है ।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जो कोई ऐसी अर्हक परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं, जिसमें सफल होने पर वे इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे, भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं । ऐसे अभ्यर्थियों, यदि अन्यथा पात्र हों, को भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह प्रवेश अनंतिम माना जाएगा और इस शर्त के अध्याधीन रहेगा कि यदि वह परीक्षा पास करने का सबूत यथासाध्य संभव और प्रत्येक दशा में परीक्षा शुरू होने के बाद दो माह के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है, तो इस प्रवेश को निरस्त माना जाएगा ।

7. फीस:- अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा जब तक कि उसे इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित छूट और या रियायत के अनुसार उससे छूट या रियायत न दी दी गई हो ।

8. परीक्षा में प्रवेश के संबंध में अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का फैसला अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

9. कदाचार के लिए शास्ति - कोई अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रतिरूपण का या बनावटी दस्तावेज या बिगाड़े गए दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत या असत्य विवरण देने या तात्त्विक सूचना छिपाने छिपाने या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए या अन्यथा कोई अन्य अनियमित और अनुचित साधन

अपनाने या परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या प्रयोग करने का प्रयत्न करने के अभिगमन का दोषी घोषित किया गया है, के खिलाफ आपराधिक अभियोजन के अतिरिक्त, उसे,

(क) आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी भी परीक्षा में प्रवेश से या आयोग द्वारा अयोजित किसी भी साक्षात्कार के लिए स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है;

(ख) सरकार द्वारा अपने अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकता है; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन किसी सेवा में है, तो समुचित नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

10. सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना - परीक्षा के पश्चात्, आयोग इन अभ्यर्थियों को प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के योग द्वारा प्रकट मेधा के क्रम में क्रमबद्ध करेगा; और उस क्रम में आयोग स्वविवेक से जिन ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें यथा अर्हक पाता है, उन्हें उन अनारक्षित संख्या के पद पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरने का विनिश्चय लिया गया था।

यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे अभ्यर्थियों को जिसे आयोग द्वारा विहित मानक के अनुसार यद्यपि अर्हक नहीं माना जाता है और प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा उसे नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, को संबंधित समूह के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

11. इस परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा आयोग द्वारा बुलाए गए ऐसे अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा समाविष्ट होगी जो इस शर्त के अधीन होगी कि मौखिक परीक्षा के लिए रखे गए अंक लिखित परीक्षा के लिए रखे गए कुल अंक के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

12. परीक्षा के मानक और पाठ्यक्रम का विवरण, तथा परीक्षा अयोजन के अन्य पहलू वही होंगे, जैसाकि आयोग द्वारा समय-समय पर यथाविहित किया गया है।

अनुसूची -II

[नियम 7(5) देखें]

भारतीय सांख्यिकी सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित पदों पर अधिकारियों की प्रोन्नति पर अगली उच्चतर श्रेणी में नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, यचन और न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रम सं.	श्रेणी का नाम	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति का आधार चयन या अचयन	चयन के क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी +	प्रोन्नति द्वारा	चयन द्वारा	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिनकी श्रेणी में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा है।
2.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	चयन द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिनकी श्रेणी में तीन साल की नियमित सेवा है या जिनकी पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा के साथ ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कम से कम एक वर्ष नियमित सेवा है।

3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	चयन द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिनकी श्रेणी में आठ वर्ष की समावेशी नियमित सेवा गैर क्रियात्मक चयन श्रेणी में है, यदि कोई हो या सत्रह वर्ष की समावेशी नियमित सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा है (जिसके अंतर्गत गैर कार्यात्मक चयन श्रेणी में की गई सेवा भी है)।
4.	गैर कार्यात्मक चयन (एनएफएसजी)	अचयन आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के माध्यम से नियोजन	अचयन	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जिनकी परीक्षा आयोजित होने के वर्ष से, जिसके आधार पर अधिकारी भर्ती किए गए थे अगले वर्ष की 01 जनवरी से गणना के अनुसार कुल नियमित सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। टिप्पणी: ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने सेवा के कनिष्ठ समयमान में प्रोन्नति की पद्धति द्वारा भारतीय सांख्यिकी सेवा में प्रवेश किया हो को भी प्रशासनिक श्रेणी (गैर कार्यात्मक चयन श्रेणी) में नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा परंतु यह कि वे सेवा में सीधी भर्ती के पद्धति से भर्ती हुए अधिकारियों को विनियमित करने वाले ज्येष्ठता संबंधी नियमों का अनुपालन करते हुए ऐसे अधिकारी जो समूह 'क' सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं के साथ उन पर भी विचार किया जाएगा।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ऐसे ज्येष्ठ समय मान अधिकारी जिनकी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है।
6.	ज्येष्ठ समयमान	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ऐसे कनिष्ठ समय मान अधिकारी जिनकी श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा है।
7.	कनिष्ठ समयमान	(i) श्रेणी में रिक्तियों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) श्रेणी में रिक्तियों के 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	चयन	अनुसूची-1 में विहित रीति से आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा से संबंधित ऐसे अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा जिनकी वेतन बैंड-2, वेतनमान ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4600. श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है।

टिप्पणी-1 : ज्येष्ठ समयमान (एसटीएस), कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी), ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) और उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, सेवा की अवधि की गणना परीक्षा के वर्ष से अगले वर्ष की 1 जनवरी, से की जाएगी।

टिप्पणी-2 जहां ऐसे मामलों में कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, वे अपेक्षित ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों, व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची-III

[नियम 7 (6) देखें]

भारतीय सांख्यिकी सेवा में प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार किए जाने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

	श्रेणी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
	(1)	(2)
1.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी + के लिए प्रोन्नति	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य
2.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी के लिए प्रोन्नति	1. अध्यक्ष या सदस्य, —अध्यक्ष 2. संघ लोक सेवा आयोग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य
3.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के लिए प्रोन्नति	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 4. महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य
4.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के चयन श्रेणी (गैर कार्यात्मक) (NFSG) पर प्रोन्नति	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य

		4 अपर सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग —सदस्य 5. संयुक्त सचिव (प्रशा), —सदस्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
5.	समय मान से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नति	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 4. संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग —सदस्य 5. संयुक्त सचिव (प्रशा), —सदस्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नामनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्टि
6.	कनिष्ठ समय मान से भारतीय सांख्यिकी सेवा के ज्येष्ठ समयमान पर प्रोन्नति.	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशा), —सदस्य जल संसाधन मंत्रालय
7.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा से कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में प्रोन्नति	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. भारतीय सांख्यिकी सेवा के एनएसएसओ/जेएजी स्तर के अधिकारी —सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक (आईएसएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य
8.	सीधी भर्ती या प्रोन्नत हुए व्यक्ति की कनिष्ठ समयमान में पुष्टि	1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशा), —सदस्य जल संसाधन मंत्रालय

टिप्पण : सिवाय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहने से विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी, यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने बैठक में भाग लिया है।

अनुसूची-IV

[(नियम (4)का उपनियम(1) देखें)]

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए कर्तव्य पदों की विवरण

क्रम सं.	मंत्रालय	श्रेणी					
		एचएजी +	एचएजी	एसएसएजी	एनएफएसजी **/ जेएजी *	एसटीएस	जेटीएस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कृषि			4	14	11	12
2.	रसायन और उर्वरक			1	2		2
3.	नागर विमानन				1	2	2
4.	कोयला				1	1	
5.	वाणिज्य और उद्योग			2	13	12	16
6.	कारपोरेट कार्य				1	1	1
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण				0	1	1
8.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी				1	1	
9.	संस्कृति				0	2	4
10.	रक्षा			1	3	3	7
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास				1		
12.	पर्यावरण एवं वन			1	1	1	
13.	वित्त			2	4	6	3
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग				0	1	1

15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		1	3	13	17	20
16.	गृह मंत्रालय			1	6	4	5
17.	मानव संसाधन विकास			1	2	2	7
18.	श्रम एवं रोजगार			2	8	10	14
19.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग				1	6	12
20.	खान				3	2	5
21.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस				0		1
22.	योजना आयोग			1	6	8	7
23.	ग्रामीण विकास			1	2	1	5
24.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी			1	0		
25.	जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग				2	2	
26.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता			1	0		
27.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2	8	55	130	87	88
28.	इस्पात				0	1	1
29.	कपड़ा				1	2	1
30.	पर्यटन			1	1	2	4
31.	जनजातीय मामलों			1	1	2	
32.	शहरी विकास				0		1
33.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन				1	1	1
34.	जल संसाधन		1	1	7	12	7
35.	पेयजल और स्वच्छता				1	1	

36.	महिला एवं बाल विकास			1	1	3	5
37.	केन्द्रीय सूचना आयोग				1		
38.	वित्तीय आसूचना इकाई					1	
	योग	2	10	81	229	206	233

टिप्पणी :-

- * इनमें से 127 पदों को आईएसएस के तौर पर उन्नत किया गया और उन्नत पदों को एसएजी में प्रचालित किया जा रहा है।
- ** कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के कुल पद में से 30 प्रतिशत ज्येष्ठ कर्तव्य (ड्यूटी) पद अर्थात् सेवा में ज्येष्ठ समयमान और उससे ऊपर के स्तर के सभी कर्तव्य (ड्यूटी) पदों को गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी के वेतन बैंड में प्रचालित किया जाएगा।

अनुसूची V

[नियम 7(7) देखें]

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में उच्चतर वेतनमान के लिए गैर कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति।

श्रेणी	छानबीन समिति का संघटन
भारतीय सांख्यिकी सेवा का गैर-कार्यात्मक उन्नयन उच्च प्रशासनिक स्तर तक के लिए प्रदान किया जाना	<p>1. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय -अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय - सदस्य</p> <p>4. अपर सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय - सदस्य</p>

टिप्पण : सिवाय समिति के अध्यक्ष के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति से विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी। यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने बैठक में भाग लिया है।

[एफ. सं. 11011/1/2009-आईएसएस]

एस. एस. बधावन, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2013

G.S.R. 623(E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Statistical Service Rules, 1961, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

- Short Title and Commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Statistical Service Rules, 2013. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definition.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - "Board" means the Indian Statistical Service Board referred to in sub-rule(2) of rule 5;
 - "Commission" means the Union Public Service Commission;
 - "Controlling Authority" means the Controlling Authority referred to in rule 5;

- (d) "DPC" means Departmental Promotion Committee constituted to consider the promotion to or confirmation in any grade as specified in Schedule -III annexed to these rules;
- (e) "Duty Post" means any post, whether temporary or permanent, included in rule 4.
- (f) "Government" means the Central Government;
- (g) "Grade" means any of the grades specified in sub-rule (1) of rule 4;
- (h) "MOSPI" means the Ministry of Statistics and Programme Implementation;
- (i) "Regular service in relation to any grade" means the period of service in that grade rendered after selection to the grade and included any period, -
 (i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in service at the time of notification of these rules.
 (ii) during which an officer would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.
- (j) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (k) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 of the Constitution to be the Scheduled Castes for the purposes of the Constitution;
- (l) "Scheduled Tribes" means such Tribes or Tribal Communities or parts of or groups within such Tribes or Tribal Communities as are deemed under article 342 of the Constitution to be the Scheduled Tribes for the purposes of the Constitution; and
- (m) "Service" means the Indian Statistical Service (Group 'A') constituted under rule 3.

3. **Constitution of the Service.**-There shall be constituted a Service known as the Indian Statistical Service consisting of persons appointed to the service.

4. **Grade, authorised strength and its review.**- (1) The duty posts included in various grades of the Service, their number and scales of pay, on the date of commencement of these rules, shall be the following, namely: -

Sl. No.	Grade, Pay Band and Grade Pay/Pay scale	Designation	Number of posts*
1	Higher Administrative Grade plus (HAG Plus) Pay Scale Rs. 75,500-increment @3%-80,000/-	Director General, Central Statistics Office and Director General & Chief Executive Officer, National Sample Survey Office, or any other designation assigned by the Controlling Authority.	2
2	Higher Administrative Grade (HAG) Pay Scale Rs. 67,000-increment @3%-79,000/-	Additional Director General, or any other designation assigned by the Controlling Authority.	10
3	Senior Administrative Grade (SAG) Pay Band-4: Rs. 37,400-67,000/- Grade Pay of Rs. 10,000/-	Deputy Director General, Adviser, Statistical Adviser, or any other designation assigned by the Controlling Authority.	81
4	Non-Functional Selection Grade (NFSG) Pay Band-4: Rs. 37,400-67,000/- Grade Pay of Rs. 8,700/-	Director, or any other designation assigned by the Controlling Authority.	30% of senior duty posts (i.e posts in senior Time Scale and above)
5	Junior Administrative Grade (JAG) Pay Band-3: Rs. 15,600-39,100/- Grade pay of Rs. 7,600/-	Joint Director, Deputy Adviser, or any other designation assigned by the Controlling Authority.	229**
6	Senior Time Scale (STS) Pay Band-3: Rs. 15,600-39,100/- Grade pay of Rs. 6,600/-	Deputy Director, Senior Research Officer, or any other designation assigned by the Controlling Authority.	206
7	Junior Time Scale (JTS)	Assistant Director, Research Officer, or any	233

3944 2/13-5

	Pay Band-3: Rs. 15,600-39,100/- Grade pay of Rs. 5,400/-	other designation assigned by the Controlling Authority.	
8	Leave/Training Reserve		50
9	Total		811

* (2013) Subject to variation dependent on the workload.

Note: ** out of the 229 posts in the JAG, 127 posts have been upgraded to SAG vide MOSPI's order No. 11015/2/2008-ISS dated 1.9.2008. These posts would revert back to JAG/ NFSG level after officers holding the upgraded posts in SAG are adjusted against authorised strength of SAG. The statement of the duty posts of Indian Statistical Service on the date of commencement of these rules in various Ministries or Departments be as specified in the Schedule IV annexed to these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of rule 4, the Government may,-

- from time to time, by order make temporary additions or alterations to the strength of the duty posts in various grades, for such period as may be specified therein;
- in consultation with the Commission, include in the Service such posts which are equivalent in terms of pay band or grade pay or pay scale to the posts included in sub-rule(1) of rule 4;
- in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the service under clause (b) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as it considers necessary.

(3) The Non-Functional Selection Grade mentioned in sub-rule (1) of rule 4 in the scale of pay of Rs. 37,400-67,000/- (Grade Pay Rs 8,700/-) shall have a strength equivalent to 30 percent of the senior duty posts, namely all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Service:

Provided further that the number of posts in the Non-Functional Selection Grade shall be limited to the number of posts sanctioned in the Junior Administrative Grade.

5. Controlling Authority.- (1) The Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation shall be the Controlling Authority of the service.

(2) Major policy matters (cadre review, restructuring of cadre, reviewing the roles and functions of the cadre vis-à-vis other Ministries or Departments or State Governments or Union Territories or foreign Governments and United Nation Organisations or any other matter as decided by the Government from time to time) relating to the management of Indian Statistical Service shall be decided by the Cadre Controlling Authority in consultation with the Indian Statistical Service Board. (3) The Board shall be presided over by the Cabinet Secretary and in addition consists of six members of whom at least four shall be the Secretaries of the participating Ministries. The other two members shall be the Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation and the Director General, Central Statistical Office. (4) The Board may be assisted in matters which are technical in nature, if so required, by a Committee of members consisting of officials and non-officials, without prejudice to the recognised functions and responsibilities of the Commission.

(4) The administrative management of Indian Statistical Service shall be with the Secretary, MOSPI.

6. Encadrement of posts to the service.- (1) The encadrement of posts to the service and appointment of officers holding duty posts which are encadred into the service under clause (b) and clause (c) of sub-rule (2) of rule 4 shall be as provided in these rules.

(2) The suitability of the officers for appointment in the Indian Statistical Service under clause (c) of sub-rule (2) of rule 4 is subject to their fulfilling the educational qualification as specified in paragraph 6 of Part-II to the Schedule-I. The other eligibility conditions for appointment to various grades of the service shall be determined by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

(3) The Government, shall constitute a Selection Committee consisting of a Chairman who shall be the Chairman or a Member of the Commission, and such other members who are the members mentioned in column (2) of Schedule III for respective grades and the suitability of the officers specified in sub-rule (1) of rule 6 for appointment to the different grades of the service shall be determined by such committee.

(4) An officer referred to in sub-rule (1) above who is not found suitable for appointment to any grade in the Service, shall continue to hold his parent post and may be reconsidered by the Controlling Authority for appointment to the Service at a subsequent year in consultation with the Commission. The suitability of these candidates for inclusion in the Indian Statistical Service are subject to fulfilling all the educational qualification as specified in paragraph 6 of Part II to the Schedule-I. The other eligibility conditions for appointment to various grades of the Service shall be determined by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

(5) An officer referred to in sub-rule (1), who on selection to any grade in the Service, opts not to be absorbed in the Service, may continue to hold the post held by him immediately before the selection as if he had not been selected.

Explanation: For the purpose of this rule, the absence of a member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceeding of the Selection Committee.

7. Future Maintenance of the Service. - The duty posts in any of the grades referred to in rule 4, shall be filled in the following manner namely:

(1) 50 percent of the total duty posts in the Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment through an open competitive examination to be held by the Commission as specified in Schedule-I;

(2) 50 percent of the total duty posts in the Junior Time Scale shall be filled by promotion from amongst officers belonging to the Subordinate Statistical Service with Grade Pay Rs. 4600 in the pay scale of Rs. 9300-34,800/- in Pay Band-2 with three years regular service in the grade.

(3) All substantive appointments of officers recruited to the Service through competitive examination shall be made in the entry grade only, namely, Junior Time Scale of the Service. The date of appointment of direct recruit shall be the date on which he or she was recommended by the Commission for appointment to the Junior Time Scale. The date of appointment of promotee officer shall be the date on which he or she was included in Select List recommended by Commission for Promotion to Junior Time Scale or the date on which officer was appointed to the Junior Time Scale whichever is later. The date of appointment of officers encadred to the service shall be the date on which he or she was included in Select List recommended by Commission for inclusion in the Indian Statistical Service or the date on which officer was appointed in the Indian Statistical Service, whichever is later.

(4) The date of appointment of officers promoted to the Senior Time Scale and above shall be the date on which he or she was included in the Select List as recommended by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule III for promotion to that grade, or the date on which he or she was appointed to the grade, whichever is later.

(5) The field of selection and eligibility criteria for promotions to various grades of the Service shall be as specified in Schedule II.

(6) The promotion of officers to various grades shall be made by the method of 'selection', except placement of officers in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade, which shall be on Non-Selection basis, on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule III.

(7) Whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular Grade carrying a specific Grade Pay in Pay Band 3 or Pay Band 4, or on the Higher Administrative Grade Scale, the members of the Service, who are senior to such Indian Administrative Service officer by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be appointed to the same grade on Non-Functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade. This will be subject to satisfaction of eligibility criteria for promotion to the relevant Grade and other instructions issued by the Central Government from time to time and based on the recommendations of the Screening Committee constituted in accordance with Schedule V.

8. Probation.- (1) Every officer appointed to the Service, either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so doing, within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as it may think fit, as a condition to satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

9. Seniority.- (1) The seniority of the officers of the Service, appointed to any grade shall be governed by their relative seniority obtained immediately before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any officer of the service has not been determined before the commencement of these rules, the same shall be determined in accordance with the Indian Statistical Service Rules, 1961 applicable to officers of the Service before the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons appointed to the grade of Junior Time Scale shall be determined as follows:

(i) The inter-se seniority amongst the officers promoted from the Subordinate Statistical Service shall be determined in the order of their selection for such promotion and the officer promoted on the basis of an earlier selection shall rank senior to those promoted on the basis of subsequent selection;

(ii) The inter-se seniority amongst the direct recruits shall be in the order of their selection by the commission and any person appointed on the basis of an earlier selection to the service shall rank senior to all other persons appointed on the basis of any subsequent selection to the service.

(3) The inter-se seniority of officers appointed to the service under rule 6 (i.e encadred to the service) after the commencement of these rules to the entry grade (i.e grade at which officer is encadred to) shall be determined in the order of their position in the respective select lists for inclusion in the Indian Statistical service to such grade and any person appointed on the basis of an earlier selection to the service shall rank senior to all other persons appointed on the basis of any subsequent selection to that grade of the service.

(4) The inter-se seniority of officers appointed to the Senior Time Scale and above of the service shall be determined in the order of their position in the respective select lists for inclusion into such grades of the service and those included on the basis of an earlier selection shall rank senior to those promoted on the basis of a subsequent selection in the service.

10. Other Conditions of service.- (1) Officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere in India, including field service in or out of India. The controlling authority may provide for-

(i) suitable transfer and relieving policy for its officers for the smooth functioning of the service ; and (ii) suitable professional training course for officers of any grade to qualify for confirmation in the grade or for promotion to a higher grade.

(2) The conditions of the service of the officer of the Service in respect of matters for which no provision has been made under these rules shall be the same as are applicable from time to time, to the officers of equivalent rank of the Central Government.

11. Deputation.- (1) Notwithstanding anything contained in rule 8, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with Commission, fill-up duty posts in any grade by deputation for period not exceeding three years, which may in special circumstances be extended upto five years, as the Government may think fit. The qualification, experience and the qualifying service for appointment to any grade of the Service under this rule shall be decided by the Government in consultation with the commission on each occasion.

(2) The Controlling Authority may depute, from time to time, members of the Service to work in posts under any State Government or Non-Governmental Organization or international organization including foreign governments for a specified period to enable them to enrich their experience and make them more suitable for holding duty posts in the Service.

12. Disqualification.- No person- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Residuary matters.- The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable from time to time to officers of equivalent rank of the Central Government.

14. Power to relax. - The Government may, in consultation with the Commission, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government:

16. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

PART I

(See rule 8 (1))

DIRECT RECRUITMENT THROUGH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

1. Direct recruitment to Junior Time Scale of the service shall be made through an open competitive examination in the manner prescribed in Part II of this Schedule.
2. A candidate for the examination must be a citizen of India or he must belong to such categories of persons as may from time to time be notified by the Government.

3. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any unfair means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.
4. Success in the examination confers no right for appointment, unless Government is satisfied, after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
5. No candidate shall be appointed to the service, who after such medical examination, as the Government may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service.
6. No person- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:
Provided that the Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

PART - II

RECRUITMENT THROUGH COMPETITIVE EXAMINATION TO JUNIOR TIME SCALE OF THE SERVICE:

1. **Holding of examination.-** An examination (hereinafter referred to in this schedule as "examination") for appointment to Junior Time Scale of the Service shall be held at such time and places as may be prescribed in the notice issued by the Commission for the purpose. Every such Notice will, when possible, announce the number of vacancies to be filled on the result of the examination.
2. **Conduct of Examination.-** Every examination shall be conducted by the Commission in such manner as maybe notified by the Government from time to time.
3. **Combined Examination.-** If an examination held under this part is a combined examination for the purpose of making appointments to more than one service, the following provisions shall apply, namely:-
 - a. any person may apply to be admitted as a candidate for appointment in all or any of the services for which he is eligible. If he wishes to be considered for appointment in more than one service, he shall state in his application for the names of the services for which he wishes to be considered, and the order of his preferences for them and in such cases only one application form will be necessary and one payment of the fee referred to in paragraph 7 will be sufficient.
 - b. Government shall assign successful candidates to each service on a consideration of all circumstances, including any personal preference expressed by the candidates.
4. **Form of Making Application.-** A candidate must apply for admission to the examination, before such date, in such manner and in such form, as the Commission may prescribe.
5. **Age limit.-** A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on the first day of August of the year during which the examination is held:
Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of such categories as may be notified by the Government from time to time to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category.
6. **Educational Qualifications.-** A candidate must have obtained
 - i) a Bachelor's degree with Statistics / Mathematical Statistics / Applied Statistics as one of the subject or a Master's degree in Statistics / Mathematical Statistics / Applied Statistics from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislatures in India or other Educational Institutes established by an Act of the Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or a foreign University approved by the Central Government from time to time.

Note: In exceptional cases, the Commission may treat a candidate not possessing the qualification prescribed above, as educationally eligible provided that he/she has passed examinations conducted by other Institutions, the standard of which in the opinion of the Commission justified his admission to the examination.

3844 2/13-E

- ii) Candidates who are otherwise eligible but who have taken degrees from foreign universities which are not recognized by the Government may also apply for admission to the examination and may be admitted at the discretion of the Commission.
- iii) A candidate who has appeared or intends to appear at such a qualifying examination, the passing of which would render him eligible to appear at the examination may apply for admission to the examination. Such a candidate will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if he does not produce the proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of the examination.
7. **FEE.**- A candidate must pay the fee prescribed by the Commission, unless exempted there from or granted concession thereof in accordance with the exemption and/or concessions in this respect notified from time to time.
8. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.
9. **Penalty for Misconduct.**- A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or of making statements which are incorrect or false, or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,
- be debarred permanently or for a specified period by the Commission from admission to any examination or appearance at an interview held by the Commission for selection of candidates;
 - be debarred by the Government from employment under them; and
 - be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he/she is already in service under the Government.
10. **Preparation of list of successful candidates.**- After the examination, the candidates will be arranged by the commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified in the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.
- Provided that any candidate belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or OBC, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for the respective groups.
11. The examination shall comprise written examination, followed by viva voce of such candidates, as may be called by the Commission, subject to the condition that the marks allocated for viva voce shall not exceed 20% of the total marks allocated for the written examination.
12. The details of standard and syllabi for the examination, and other aspects of conducting the examination shall be as prescribed by the Commission from time to time.

SCHEDULE-II

[see rule 7(5)]

The method of recruitment, selection and the minimum qualifying service in the next higher grade for appointment of officers on promotion to posts included in the various grades of Indian Statistical Service (Group 'A')

S. No.	Name of the Grade	Method of Recruitment	Whether promotion is on selection or non-selection basis	Field of Selection and the minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Higher Administrative Grade Plus	By promotion	Selection	Officers of the Higher Administrative Grade with at least one year of regular service in the grade.
2.	Higher Administrative Grade	By promotion	Selection	Officers of the Senior Administrative Grade with three years' regular service in the grade or with twenty five years'

				regular service with one year regular service should be in the Senior Administrative Grade.
3.	Senior Administrative Grade	By promotion	Selection	Officers in the Junior Administrative grade with eight years' regular service in the grade inclusive of service, if any, rendered in the Non-Functional Selection Grade or with seventeen years of regular service inclusive of four years of regular service in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade).
4.	Non-Functional Selection Grade (NFSG)	Appointment by placement in the Grade on Non-Selection basis.	Non-Selection	Officers in the Junior Administrative Grade on entering the fourteenth year of overall regular service on 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the officer was recruited. Note: The Junior Administrative Grade officers who entered the Indian Statistical Service by the method of promotion in the Junior Time Scale of the Service shall also be considered eligible for appointment in the Junior Administrative Grade (Non Functional Selection Grade), provided they have entered the fourteenth year of service in Group 'A' by following the Rules governing seniority along with officers who entered the fourteenth year of service through the method of direct recruitment.
5.	Junior Administrative Grade	By promotion	Selection	Officers in the Senior Time Scale with 5 years regular service in the grade.
6.	Senior Time Scale	By promotion	Selection	Officers in the Junior Time Scale with 4 years regular service in the grade.
7.	Junior Time Scale	(i) 50% of the vacancies in the Grade by direct recruitment (ii) 50% of the vacancies in the Grade by promotion	Selection	Through an open competitive examination held by the Commission in the manner prescribed in Schedule-I By promotion from amongst officers belonging to the Subordinate Statistical Service with Grade Pay Rs. 4600/- in Pay Band-2 in the scale of pay of Rs. 9300-34,800/- with three years regular service in the grade.

Note I: For the purpose of promotions to Senior Time Scale (STS), Junior Administrative Grade (JAG), Senior Administrative Grade (SAG) and Higher Administrative Grade (HAG), the length of service shall be reckoned from the 1st of January of the year following the year of the examination through which the member was recruited.

Note II: In cases where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or

3844 9/13-7

eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE-III

[see rule 7 (6)]

Composition of Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in the Indian Statistical Service.

Grade		Composition of Group 'A' DPC	
(1)		(2)	
1.	Promotion to Higher Administrative Grade Plus of Indian Statistical Service.	1. Chairman/Member, UPSC	- Chairman
		2. Secretary, MOSPI	- Member
2.	Promotion to Higher Administrative Grade of Indian Statistical Service.	1. Chairman/Member, UPSC	- Chairman
		2. Secretary, MOSPI.	- Member
3.	Promotion to Senior Administrative Grade of Indian Statistical Service	1. Chairman/Member, UPSC	- Chairman
		2. Secretary, MOSPI	- Member
		3. Director General, CSO, MOSPI	- Member
		4. Director General & CEO, NSSO, MOSPI	- Member
4.	Appointment to the Selection Grade (Non-functional) of Junior Administrative Grade (NFSG) of Indian Statistical Service.	1. Secretary, MOSPI	- Chairman
		2. Director General, CSO, MOSPI	- Member
		3. Director General & CEO, NSSO, MOSPI	- Member
		4. Additional Secretary, D/o Industrial Policy & Promotion Cooperation	- Member
		5. Joint Secretary (Admin), M/o Road Transport and Highways	- Member
5.	Promotion from Senior Time Scale to Junior Administrative Grade of Indian Statistical Service.	1. Secretary, MOSPI	- Chairman
		2. Director General, CSO, MOSPI	- Member
		3. Director General & CEO, NSSO, MOSPI	- Member
		4. Joint Secretary, D/o Agriculture & Cooperation	- Member
		5. Joint Secretary (Admin), M/o Road Transport and Highways, Designated nominee of DoPT	- Member
6.	Promotion from Junior Time Scale to Senior Time Scale of Indian Statistical Service.	1. Secretary, M/o S&PI	- Chairman
		2. Director General, CSO, MOSPI	- Member
		3. Director General & CEO, NSSO, MOSPI	- Member
		4. Joint Secretary (Admn.) M/o Water Resources	- Member
7.	Promotion from Subordinate Statistical Service to Junior Time Scale (JTS) of Indian Statistical Service.	1. Chairman/Member, UPSC	- Chairman
		2. NFSG/JAG level officer of ISS	- Member
		3. Deputy Secretary/Director (ISS), MOSPI	- Member
8.	Confirmation of Direct Recruits / Promotees at Junior Time Scale	1. Secretary, MOSPI	- Chairman
		2. Director General, CSO, MOSPI	- Member
		3. Director General & CEO, NSSO, MOSPI.	- Member
		4. Joint Secretary (Admn.) M/o Water Resources	- Member

Note : The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission, shall not invalidate the proceedings of the DPC, if more than half members of the committee had attended the meeting.

SCHEDULE-IV
[(See sub-rule(1) of rule 4)]
STATEMENT OF DUTY POSTS FOR THE INDIAN STATISTICAL SERVICE

SI	Ministry of	Grade					
		HAG plus	HAG	SSAG	NFSC **/ JAG *	STS	JTS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Agriculture			4	14	11	12
2	Chemical & Fertilizer			1	2		2
3	Civil Aviation				1	2	2
4	Coal				1	1	
5	Commerce & Industry			2	13	12	16
6	Corporate Affairs				1	1	1
7	Consumer Affairs, Food & PD				0	1	1
8	Communication & IT				1	1	
9	Culture				0	2	4
10	Defence			1	3	3	7
11	Development of North East Region				1		
12	Environment & Forest			1	1	1	
13	Finance			2	4	6	3
14	Food Processing Industries				0	1	1
15	Health & Family Welfare		1	3	13	17	20
16	Home Affairs			1	6	4	5
17	Human Resource Development			1	2	2	7
18	Labour & Employment			2	8	10	14
19	Micro, Small and Medium Enterprises				1	6	12
20	Mines				3	2	5
21	Petroleum & Natural Gas				0		1
22	Planning Commission			1	6	8	7
23	Rural Development			1	2	1	5
24	Science & Technology			1	0		
25	Shipping, Road Transport & Highways				2	2	
26	Social Justice & Empowerment			1	0		
27	Statistics & P.I.	2	8	55	130	87	88
28	Steel				0	1	1
29	Textiles				1	2	1
30	Tourism			1	1	2	4
31	Tribal Affairs			1	1	2	
32	Urban Development				0		1
33	Urban Employment and Poverty Alleviation				1	1	1
34	Water Resources		1	1	7	12	7
35	Drinking Water and Sanitation				1	1	
36	Women and Child Development			1	1	3	5
37	Central Information Commission				1		
38	Financial Intelligence Unit					1	
	Total	2	10	81	229	206	233

Note :-
* out of this 127 posts upgraded to SAG of ISS and upgraded posts are operated in SAG.
** Of the total posts at Junior Administrative Grade, 30 percent of the senior duty posts, namely all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Service will be in the Non-Functional Selection Grade operated in PB

SCHEDULE-V
[see rule 7(7)]

Screening Committee for considering the cases for grant of non-functional upgradation to higher scale in the Indian Statistical Service.

Grade	Composition of the Screening Committee
Grant of Non-functional upgradation to the grade upto and including Higher Administrative Grade of ISS	1. Secretary, MOSPI - Chairman
	2. Director General, CSO, MOSPI - Member
	3. Director General & CEO, NSSO, MOSPI - Member
	4. Additional Secretary, MOSPI - Member

Note : The absence of a member, other than the Chairman shall not invalidate the proceedings of the Screening Committee, if more than half members of the committee had attended the meeting.

[F.No.11011/1/2009-ISS]
S.S. BADHAWAN, Jt. Secy.